संख्याः /XXVI/दो (14)/2014

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 26 नवम्बर, 2015

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0आई0सी0 ऑफिस, सचिवालय परिसर के मेन्टनेंस हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में आपके पत्र सं0–1720/3–ले0–1(1)/बजट/2015–16, दिनांक 03.11.2015 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–03–एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट को अनुदान की मद सं0–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत राज्य सूचना विज्ञान कार्यालय सचिवालय परिसर, देहरादून के मेन्टिनेंस हेतु प्राविधानित बजट ₹ 200 हजार (₹ दो लाख मात्र) की धनराशि वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400, दिनांक 01.04.2015 के प्राविधानों के अधीन ही सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त स्वीकृति के क्रम में अनुरक्षण कार्यों के संपादन हेतु धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानान्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायगा।

3– प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि आप द्वारा आहरित कर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, देहरादून को उपलब्ध कराई जायेगी।

4– एन0आई0सी0 द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों हेतु किया जायेगा, जो कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृत हों तथा उपरोक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

5– कार्यों की मासिक प्रगति प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यों का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

6– कार्यों पर होने वाले उक्त व्यय का सम्परीक्षण महालेखानियंत्रक, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

7. वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30.03.2012 में निहित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
8. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–12, 30 एवं 31 में अंकित लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–99–राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1080/XXVII(1)/2015, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त (साफ्टवेयर आवंटन की प्रति सहित)

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–1502(1)/XXVIII-4/2015-51(11)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून ।
2. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, महानिदेशालय, देहरादून।
4. निजी सचिव–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, लक्ष्मी रोड़, देहरादून ।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड ।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून ।
9. प्रबन्धक–ई0एम0आर0आई0, हैदराबाद।
10. चीफ आपरेटिंग ऑफिसर, पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून ।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या–1502/XXVIII-4/2015-51(11)/2012, दिनांक नवम्बर, 2015 का संलग्नक

(₹ हज़ार में)

क्र.सं.	लेखाशीर्षक		आवंटित धनराशि
	अनुदान सं0–12		
1	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
	06	लोक स्वास्थ्य	
	101	रोगों का निवारण एवं नियन्त्रण	
	99	राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन	
	20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	46200
	अनुदान सं0–30		
2	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
	06	लोक स्वास्थ्य	
	101	रोगों का निवारण एवं नियन्त्रण	
	99	राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पी0पी0पी0	
	20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	11400
	अनुदान सं0–31		
3	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
	06	लोक स्वास्थ्य	
	101	रोगों का निवारण एवं नियन्त्रण	
	99	राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन पी0पी0पी0	
	20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2400
		महायोग	**60000**

(₹ छः करोड़ मात्र)

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव